

न्यूज़ टुडे

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना' के तीसरे चरण को मंजूरी दी

इसका उद्देश्य न्यायालय के संपूर्ण अभिलेखों (रिकॉर्ड्स) के डिजिटलीकरण के माध्यम से न्यायालयों को डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस बनाते हुए न्याय की अधिकतम सुगमता सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में ई-कोर्ट्स परियोजना 2007 से कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य भारतीय न्यायपालिका को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) में सक्षम बनाना है।

इसके चरण-I और II का क्रियान्वयन क्रमशः 2011-15 और 2015-23 के दौरान किया गया था।

ई-कोर्ट्स परियोजना के चरण-III के बारे में

केंद्रीय क्षेत्र की योजना: यह 2023 से 2027 तक 4 वर्षों के लिए कार्यान्वित की जाएगी। इसका परिव्यय 7,210 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

उद्देश्य: न्यायपालिका के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का निर्माण करना, ताकि न्यायालयों, वादियों और अन्य हितधारकों के बीच एक निर्बाध एवं पेपरलेस इंटरफेस उपलब्ध हो सके।

कार्यान्वयन: हाई कोर्ट्स द्वारा किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति की सिफारिश पर न्याय विभाग (विधि मंत्रालय) द्वारा हाई कोर्ट्स को धनराशि जारी की जाती है।

ई-समिति ई-कोर्ट्स परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत नियोजन, रणनीतिक निर्देश और मार्गदर्शन का काम देखती है।

न्यायालयों के डिजिटलीकरण का महत्त्व

न्यायिक आधुनिकीकरण: यह डेटा-आधारित निर्णय लेने को संभव और न्याय प्रदान करने को पूर्णतया डिजिटल बनाता है।

लंबित मामलों के निपटान में तेजी: उभरती तकनीकों जैसे AI, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन आदि को शामिल करके न्यायालय अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं और लंबित मामलों को कम कर सकते हैं।

ई-कोर्ट्स परियोजना के चरण-III के घटक

S3WAAS प्लेटफॉर्म
यह सुरक्षित और दक्ष डेटा भंडारण एवं एक्सेस का समर्थन करता है।

क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर
यह स्केलेबल स्टोरेज और कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करता है।

स्केनिंग और डिजिटलीकरण
यह भौतिक रिकॉर्ड को डिजिटल प्रारूप में तब्दील करने की प्रक्रिया है।

CLASS सिस्टम
यह अदालतों में लाइव ऑडियो-विजुअल स्ट्रीमिंग की सुविधा प्रदान करता है।

ई-सेवा केंद्र
यह उपयोगकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं और सहायता प्रदान करता है।

वर्चुअल कोर्ट
यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिमोट कोर्ट प्रोसीडिंग्स को सक्षम बनाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की शक्तियों का विस्तार किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को NIA अधिनियम, 2008 के तहत अनुसूचित अपराधों से संबंधित गैर-अनुसूचित अपराधों की जांच करने का भी अधिकार है।

NIA अधिनियम, 2008 में उन अनुसूचित अपराधों की श्रेणियों को निर्धारित किया गया है जिनकी NIA जांच कर सकती है।

इनमें परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962, विमान अपहरण प्रतिबंधक विरोधी अधिनियम, 1982, सार्क कन्वेंशन (आतंकवाद दमन) अधिनियम, 1993, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 आदि के तहत उल्लिखित आपराधिक कृत्य भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के बारे में

यह एक केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसे 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मद्देनजर NIA अधिनियम, 2008 के तहत स्थापित किया गया है।

मुख्यालय: नई दिल्ली में है। दो क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी और जम्मू में हैं।

सौंपे गए कार्य: भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों आदि को प्रभावित करने वाले NIA अधिनियम, 2008 की अनुसूची में निर्धारित अपराधों की जांच करना।

NIA को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम

NIA संशोधन अधिनियम, 2019: NIA के कार्यक्षेत्र को मानव तस्करी, प्रतिबंधित हथियारों के विनिर्माण/ बिक्री, साइबर आतंकवाद आदि से संबंधित अपराधों तक बढ़ा दिया गया है।

NIA के कार्यक्षेत्र को भारत की सीमाओं से परे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ा दिया गया है।

आतंकवाद के वित्त-पोषण और जाली भारतीय मुद्रा नोटों (FICN) की जांच के लिए NIA को केंद्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए नेशनल टेरर डेटा फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर (NTDFAC) की स्थापना की गई है।

NIA और CBI की भूमिकाओं और संरचनाओं की तुलना

वैधानिक निकाय

यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।

आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करती है।

NIA

गैर-वैधानिक निकाय

यह कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।

श्रष्टाचार की जांच करती है।

CBI

लोक सभा में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक' पेश किए गए

देश में एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था तय करने वाले दो विधेयक लोक सभा में औपचारिक रूप से पेश किए गए। ये दो विधेयक हैं-

➤ 129वां संविधान संशोधन विधेयक, 2024; और

➤ केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024.

129वां संविधान संशोधन विधेयक, 2024 के मुख्य प्रावधान

➤ संविधान में एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ा जाएगा:

⊕ एक साथ चुनाव: नए अनुच्छेद के अनुसार भारत का चुनाव आयोग लोक सभा और सभी राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ आम चुनाव कराएगा।

⊕ विधान सभाओं का कार्यकाल: सभी राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा।

➤ अनुच्छेद 83 में संशोधन: इसमें असमाप्त अवधि, मध्यावधि चुनाव और आम चुनाव की परिभाषा दी गई है।

⊕ संशोधन के अनुसार जब लोक सभा 5 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है, तो लोक सभा विघटन की तिथि और पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के बीच की अवधि 'असमाप्त अवधि' (Unexpired period) मानी जाएगी।

⊕ समय से पहले लोक सभा विघटन के बाद मध्यावधि चुनाव होंगे। इस चुनाव से जिस नई लोक सभा का गठन होगा उसका कार्यकाल केवल 'असमाप्त अवधि' के लिए होगा।

◆ उदाहरण के लिए- यदि लोक सभा अपने पांच साल के कार्यकाल को पूरा किए बिना तीन साल में भंग हो जाती है, तो मध्यावधि चुनाव के बाद गठित लोक सभा का कार्यकाल केवल दो वर्षों का होगा।

➤ अनुच्छेद 172 में संशोधन: यह नया प्रावधान राज्य विधान सभाओं के लिए असमाप्त अवधि और पूर्ण कार्यकाल को परिभाषित करता है।

केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रमुख प्रावधान

➤ इसके जरिए केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

⊕ ये संशोधन विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के कार्यकाल को एक साथ चुनाव के तहत लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के कार्यकाल के अनुरूप करने के लिए प्रस्तावित हैं।

एक साथ चुनाव कराने का महत्व

➤ मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी: बार-बार और जल्दी-जल्दी चुनाव होने से मतदाता उदासीन हो जाते हैं व मतदान नहीं करते हैं। एक निश्चित अवधि पर चुनाव होने से मतदाताओं में उत्साह बना रहेगा।

➤ नीति और विकास में निरंतरता सुनिश्चित होगी: बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू होने से नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करने में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसे "पॉलिसी पैरालिसिस" भी कहा जाता है।

➤ अधिकारियों का उनके मूल कार्यों से हटना: चुनावों में सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा बलों की बार-बार तैनाती से उनके वास्तविक कार्य प्रभावित होते हैं।

राधाकृष्णन समिति ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के पुनर्गठन की सिफारिश की

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-अंडरग्रेजुएट (CUET-UG) के प्रश्न-पत्र लीक होने की शिकायतें मिलने के बाद जून 2024 में सात सदस्यीय के. राधाकृष्णन समिति गठित की गई थी।

भारत में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से जुड़ी समस्याएं:

➤ प्रश्न-पत्र लीक होना और अंकों में अनियमितता: 2024 की NEET-अंडरग्रेजुएट परीक्षा के प्रश्न-पत्र आउट होने और छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने में अनियमितता बरते जाने जैसी शिकायतें मिली थीं।

➤ बार-बार परीक्षा रद्द होना और तकनीकी गड़बड़ियां: बायोमेट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर में समस्या उत्पन्न होने, सर्वर फेलियर जैसी व्यवस्थागत खामियों की वजह से कई बार परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा है।

⊕ ज्ञातव्य है कि इन खामियों की वजह से जून 2024 में आयोजित होने वाली UGC NET परीक्षा को रद्द करना पड़ा था।

➤ संचालन में पारदर्शिता की कमी: परीक्षा परिणामों के प्रकाशन में देरी, प्रश्न-पत्र कठिनाता के स्तर पर विसंगतियां और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।

⊕ नॉर्मलाइजेशन एक छाल के स्कोर को इस तरह से संशोधित करने की एक प्रक्रिया है कि यह दूसरे छाल के स्कोर के साथ तुलनीय हो जाए।

➤ अन्य चिंताएं: परीक्षा में राजनीतिक प्रभाव, भ्रष्टाचार कुछ अन्य चिंताएं हैं।

⊕ इसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला है।

परीक्षा आयोजन में सुधारों पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें

➤ डिजीयान्ता की तर्ज पर डिजीएग्जाम अपनाना: इससे छात्रों का सही से सत्यापन हो सकेगा और किसी वास्तविक छाल की जगह अन्य द्वारा परीक्षा में शामिल होने की प्रवृत्ति को रोका जा सकेगा।

➤ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) का पुनर्गठन: इसे केवल उच्चतर शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।

➤ राज्य और जिला स्तरीय संस्थाओं के साथ समन्वय: इससे सुरक्षित परीक्षा केंद्रों की पहचान करने, संदिग्ध तत्वों की सूची तैयार करने और उन पर कड़ी नजर रखने में मदद मिलेगी।

➤ मोबाइल (अस्थायी) परीक्षा केंद्र: इससे ग्रामीण, दूरदराज और कम आबादी वाले क्षेत्रों के परीक्षार्थियों को सुविधा होगी।

➤ अन्य सिफारिशें:

⊕ शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए,

⊕ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करनी चाहिए,

⊕ टेस्ट ऑडिट की व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है, आदि।

परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए भारत में शुरू की गई अन्य पहलें

➤ लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम लागू किया गया है।

➤ छात्रों के सत्यापन लिए बायोमेट्रिक का उपयोग किया जा रहा है।

➤ कंप्यूटर के जरिए रियल टाइम आधार पर परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।

➤ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) का गठन किया गया है।

एक संसदीय स्थायी समिति ने लोक सभा में किसानों के कल्याण के लिए 'अनुदान मांगों' पर रिपोर्ट प्रस्तुत की

यह रिपोर्ट कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसदीय स्थायी समिति ने प्रस्तुत की है।

इस रिपोर्ट में उजागर किए गए प्रमुख मुद्दे

- **कृषि क्षेत्र की धीमी वृद्धि:** यह 2022-23 में 4.7% से घटकर 2023-24 में 1.4% हो गई है।
 - ⊕ देश के कुल कार्यबल का 54.6% कृषि में लगा हुआ है। 2022-23 के दौरान कृषि क्षेत्रक ने वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 18.4% का योगदान दिया है।
- **कृषि के लिए आवंटन में ठहराव:** कृषि और किसान कल्याण विभाग (DoA&FW) को वित्त वर्ष 2024 के लिए 1.22 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2021 के लिए यह आंकड़ा 1.23 लाख करोड़ रुपये था।
- **अन्य मुद्दे:** इसमें निधियों का कम उपयोग, किसानों की कम आय और उत्पादकता, किसानों पर बढ़ता ऋण का बोझ आदि शामिल हैं।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी:** यह किसानों की आजीविका की सुरक्षा, ग्रामीण आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जरूरी है।
- **किसानों को दी जाने वाली पीएम-किसान सहायता में वृद्धि करना:** इसे वर्तमान के 6,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष करना चाहिए। साथ ही, इसमें बटाईदार किसानों और खेतिहर मजदूरों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- **नाम में परिवर्तन:** “कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DoA&FW)” का नाम बदलकर “कृषि, किसान एवं कृषि मजदूर कल्याण विभाग” रखा जाना चाहिए। इससे कृषि मजदूरों के कल्याण पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा और उन्हें अधिक मान्यता भी प्रदान की जा सकेगी।
- **न्यूनतम जीवन निर्वाह मजदूरी के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना:** इसे कृषि मजदूरों के लिए उचित एवं न्यायोचित मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए।
- **अनिवार्य सार्वभौमिक फसल बीमा योजना:** ऐसी योजना प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) की तर्ज पर 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले लघु किसानों के लिए शुरू की जानी चाहिए।

जर्मनी के चांसलर के सदन में विश्वास मत हारने के बाद जर्मनी में आकस्मिक चुनाव आयोजित किए जाएंगे

आकस्मिक चुनाव (Snap election) एक ऐसा चुनाव होता है, जिसका आयोजन निर्धारित चुनाव से पहले अप्रत्याशित रूप से किया जाता है। इसका आयोजन अक्सर किसी विशिष्ट राजनीतिक अवसर का लाभ उठाने या संसद में गतिरोध को हल करने के लिए किया जाता है।

जर्मनी की चुनाव प्रणाली कैसे काम करती है?

- **मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली:** जर्मनी चुनावी प्रणाली बहुमत या “फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट” प्रणाली (प्रथम वोट) और लैंडर (दूसरे वोट) में पार्टी सूचियों के लिए वोटों के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मिश्रित रूप है।
 - ⊕ **बुंदेस्टैग (संसद का निम्न सदन)** के 299 सदस्य प्रथम वोट से और बाकी सदस्य दूसरे वोट से चुने जाते हैं।
- **चांसलर का चयन:** जर्मनी नागरिक चांसलर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं, इसकी बजाय, वे हर चार साल में संसद के सदस्य चुनते हैं। ये सदस्य बाद में चांसलर का चुनाव करते हैं।
- **दोहरी मतदान प्रणाली:** इसके तहत प्रत्येक मतदाता के पास 2 वोट होते हैं। पहला वोट निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी एक में व्यक्तिगत उम्मीदवार हेतु होता है, जो बहुमत प्रणाली के आधार पर चुना जाता है। दूसरा वोट लैंडर में पार्टी सूची के लिए दिया जाता है।
- **ओवरहैंग सीटें:** यदि कोई पार्टी बहुमत प्रणाली (पहले वोट) में दूसरे वोट के परिणामों से अधिक सीटें जीत जाती है, तो वह पार्टी अतिरिक्त सीटें रख लेती है। इन अतिरिक्त सीटों को “ओवरहैंग सीटें” कहा जाता है।
- **बैलेंस सीटें:** ऐसे मामलों में जहां कुछ पार्टियों को ओवरहैंग सीटें मिलती हैं, तो देश भर में सभी पार्टियों के वोटों के हिस्से की पूर्ण आनुपातिकता सुनिश्चित करने के लिए “बैलेंस सीटें” अन्य पार्टियों को दे दी जाती हैं।

चांसलर का चुनाव

- **नामांकन:** संघीय चुनाव के बाद, संघीय राष्ट्रपति द्वारा चांसलर पद के लिए एक उम्मीदवार का नामांकन किया जाता है।
- **बुंदेस्टैग द्वारा चुनाव:** बुंदेस्टैग एक गुप्त मतदान में नामांकित उम्मीदवार पर वोटिंग करवाता है। निर्वाचित होने के लिए, उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत हासिल होना चाहिए।
- **दूसरा और तीसरा दौर:** यदि उम्मीदवार पहले दौर में पूर्ण बहुमत हासिल करने में विफल रहता है, तो दूसरा दौर आयोजित किया जाता है।
 - ⊕ यदि दूसरे चरण में भी कोई नतीजा नहीं निकलता है तो तीसरे चरण में सबसे अधिक वोट पाने वाले व्यक्ति को चुन लिया जाता है।

अन्य सुर्खियां



सर्व एंड रेस्क्यू ऐड टूल (SARAT)

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने SARAT का अत्याधुनिक संस्करण विकसित किया है।

- यह भारतीय तटरक्षक बल जैसी एजेंसियों को समुद्र में भारतीय खोज और बचाव (SAR) अभियान को सटीक तरीके से चलाने में सहायता करेगा।

SARAT के बारे में

- इसे मेक इन इंडिया के तहत 2016 में पहली बार तैयार किया गया था।
 - इसका उद्देश्य समुद्र में खोज और बचाव कार्यों को सुविधाजनक बनाना और संकट में फंसे व्यक्तियों या जहाजों का शीघ्र पता लगाना है।
 - यह टूल यूजर्स के लिए मोबाइल एप्लिकेशन के रूप में भी उपलब्ध है।
- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) के बारे में
- **उत्पत्ति:** यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत 1999 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित हुआ था।
 - **भूमिका:** समाज को सर्वोत्तम संभव समुद्री जानकारी और परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
 - **कार्य:** सुनामी, तूफान महोर्मि, ऊंची लहरों आदि पर तटीय आबादी के लिए चौबीसों घंटे निगरानी और चेतावनी सेवाएं प्रदान करना।



गोलान हाइट्स

इजरायल गोलान हाइट्स में यहूदी बस्तियों का विस्तार करने की योजना बना रहा है।

- इजरायल ने 1967 के छह दिवसीय युद्ध (Six-Day War) में सीरिया से गोलान हाइट्स अधिकृत कर लिया था। 1981 में इजरायल ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था।

⊕ हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायल के अधिकार को मान्यता नहीं दी गई है।

गोलान हाइट्स के बारे में

- **अवस्थिति:** गोलान हाइट्स दक्षिण-पश्चिमी सीरिया में इजरायल, लेबनान और जॉर्डन की सीमा पर अवस्थित है। यह चट्टानी पठार है।
 - ⊕ इसके पश्चिम में जॉर्डन नदी और गैलिली सागर, उत्तर में माउंट हरमोन, पूर्व में मौसमी नदी वादी अल-रुक्काद तथा दक्षिण में यारमुक नदी स्थित हैं।

➤ **सामरिक महत्त्व:**

- ⊕ सीरिया में गतिविधियों पर निगरानी रखने में सहायक: सीरिया की राजधानी दमिश्क, गोलान हाइट्स से केवल 60 किलोमीटर दूर है। गोलान हाइट्स से राजधानी दमिश्क दिखाई देती है।
- ⊕ गोलान हाइट्स, सीरिया की ओर से किसी भी सैन्य गतिविधि के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य करती है।





अनुपूरक अनुदान मांग (Supplementary demand for grants)

लोक सभा ने वित्त वर्ष 2024-25 के प्रथम बैच के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को मंजूरी दी।

अनुपूरक अनुदान मांगों के बारे में

- उद्देश्य: अनुपूरक अनुदान की मांग तब की जाती है जब उस वित्त वर्ष के लिए संसद द्वारा किसी विशेष सेवा हेतु पहले से अधिकृत आवंटन पर्याप्त नहीं पाया जाता है।
 - यह तब भी प्रस्तुत किया जा सकता है जब मूल बजट में किसी सेवा के लिए आवंटन नहीं किया जाता है, लेकिन बाद में इस पर व्यय करना आवश्यक हो जाता है।
- प्रक्रिया: राष्ट्रपति संसद के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, जिसमें अनुमानित अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता दिखाई जाती है।
 - इसके बाद इस मांग पर संसद के दोनों सदनों में बहस की जाती है और उसे मंजूरी दी जाती है।
- प्रस्तुत करने का समय: इन मांगों को किसी वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले पारित करना होता है।



SLINEX 2024

श्रीलंका और भारत के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'SLINEX 2024' पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में शुरू हुआ।

SLINEX के बारे में

- यह 2005 में भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था।
- 2024 के अभ्यास में भाग लेने वाले पोत: भारत की ओर से INS सुमित्रा पोत और श्रीलंका की ओर से SLNS सयूरा पोत भाग ले रहे हैं।
- अभ्यास के चरण: यह अभ्यास दो चरणों में आयोजित हो रहा है- समुद्री चरण और बंदरगाह चरण।



मिल्कवीड फाइबर

वस्त्र मंत्रालय द्वारा मिल्कवीड फाइबर सहित नए प्राकृतिक रेशों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

मिल्कवीड फाइबर के बारे में

- यह एक अनोखा प्राकृतिक रेशा है। इसे मिल्कवीड पौधों (एस्क्लेपियास सिरिएका एल) के बीज कोष से प्राप्त किया जाता है।
 - यह पौधा उत्तरी अमेरिका का स्थानिक पादप है। भारत में यह राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में जंगली पौधे के रूप में पाया जाता है।
- गुण: इसमें तैलीय पदार्थ और लिग्निन होता है, जो इसे कटाई के लिए बहुत भंगुर बनाता है। लिग्निन विशेष रूप से पादपों की कोशिकाओं व कोशिका भित्तियों में पाया जाता है।
 - इसमें एम्फीफिलिक गुणों को दिखाने वाली सामग्री पाई जाती है, जो हाइड्रोफिलिक (जल को अवशोषित करने वाले) और हाइड्रोफोबिक (जल-विकर्षक/ प्रतिरोधी) दोनों गुणों को प्रदर्शित कर सकती है।
- उपयोग: इसका अवशोषक सामग्री, जल-सुरक्षा उपकरण (लाइफ जैकेट और बेल्ट) आदि के निर्माण में उपयोग किया जाता है।



डायबिटीज बायोबैंक

भारतीय आर्युर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक चेन्नई में स्थापित किया है।

- मधुमेह (डायबिटीज) क्रॉनिक और चयापचय (मेटाबोलिक) संबंधी बीमारी है। इस बीमारी में अग्न्याशय अपने आप बहुत कम या बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता है।

डायबिटीज बायोबैंक के बारे में

- यह अलग-अलग आबादी समूहों के जैविक नमूनों (Biological samples) का भंडार है।
- यह ICMR की अनुमति से वैज्ञानिक अध्ययनों में सहायता के लिए बायोस्पेसिमेन को एकल, प्रोसेस, संग्रहीत और वितरित करेगा।
- बायोबैंक वैज्ञानिकों को मधुमेह के लिए उत्तरदायी आनुवंशिक व जीवनशैली आधारित और पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन करने में मदद करेगा।



हाइड्रोक्सीमिथेनसल्फोनेट (HMS)

एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि हवा में कम सल्फेट सांद्रता कम तापमान (लगभग -35 डिग्री सेल्सियस) के साथ पार्टिकुलेट मैटर (PM) कणों की अम्लता को कम करती है।

- अम्लता में यह कमी PM2.5 के एक घटक HMS के उत्पादन में वृद्धि करती है।

HMS के बारे में

- निर्माण:
 - HMS आमतौर पर तरल जल की उपस्थिति में फॉर्मल्हाइड और सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया के परिणामस्वरूप बनता है।
 - ठंडे क्षेत्रों में ये अभिक्रियाएं एयरोसोल कणों में भी हो सकती हैं।
- प्रभाव: यह सूक्ष्म पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5) का एक हिस्सा है, जो वायु प्रदूषण का कारण बन सकता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है।
- एरोसोल में HMS की उपस्थिति कोहरे के निर्माण में योगदान करती है और वायु की गुणवत्ता को खराब करती है।



किसान कवच

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) से संबद्ध वैज्ञानिकों ने किसान कवच नामक एक स्वदेशी 'कीटनाशक' सूट विकसित किया है।

किसान कवच के बारे में

- इसे BRIC-inStem, बेंगलुरु ने विकसित किया है। यह किसानों की कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों से बचने में मदद करेगा।
 - BRIC-inStem- जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद-स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान।
- किट में एक ट्राउजर, पुलओवर और 'ऑक्सिम फैब्रिक' से बना एक फेस-कवर शामिल है।
 - ऑक्सिम फैब्रिक किसी भी सामान्य कीटनाशक को रासायनिक रूप से विखंडित कर सकता है। अक्सर जब किसान खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, तब कीटनाशक उनके कपड़ों या शरीर पर लग जाता है

सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व



तुलसी गौड़ा (1944-2024)

हाल ही में, पर्यावरणविद् और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित तुलसी गौड़ा का निधन हो गया।

तुलसी गौड़ा के बारे में

- उनका जन्म कर्नाटक के होन्नाली गांव के हलाक्की जनजातीय परिवार में हुआ था।
- मुख्य योगदान:
 - वनों के बारे में उनके ज्ञान के कारण उन्हें "इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट" कहा जाता था। उनकी जनजाति के बीच वह "वृक्ष देवी" के रूप में लोकप्रिय थी।
 - उन्हें संपूर्ण कर्नाटक में 1 लाख से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी देख-रेख करने का श्रेय दिया जाता है।
 - 2021 में, पर्यावरण संरक्षण में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।
- मूल्य: निस्वार्थता, पर्यावरणवाद, समर्पण आदि।



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



रांची